

Present :- Madhu Agrawal
District & Addl. Sessions Judge- 1st
-cum- Spl. Judge, SC/ST (POA) Act, Sheikhpura
SC/ST Case No. - 13/2026
District – Sheikhpura (Bihar)
(State Vrs. Abdul Rehman and others)

13-03-2026 अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० - 51/2025, दिनांक 31.12.2025 की अभिप्रमाणित छायाप्रति को धारा - 126(2), 115(2), 324(1), 352, 351, 3(5) बी०एन०एस० एवं धारा - 3 (i) (r) (s) of SC/ST Act के तहत अंतिम प्रतिवेदन “असत्य” समर्पित किया गया है।

वाद पुकारा गया। सूचक के विद्वान अधिवक्ता मो० मंजर की ओर से वकालतन हाजरी दी गई। वाद पुकार पर सूचक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सूचक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। देखा।

प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं आरोप पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही चलाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा अभिलेख में दाखिल विरोध-पत्र के आलोक में परिवाद-पत्र दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। वाद दिनांक वास्ते 13.04.2026 परिवादी के शपथ पर बयान हेतु।

लेखापित


D.A.S.J.-1st